कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2015-16 (विव16) के दौरान सेवा कर संग्रहण ₹ 2,11,145 करोड़ था और विव16 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 29.77 प्रतिशत था। (जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में विव15 की तुलना में विव16 में वृद्धि हुई है जबकि सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करो के शेयर में विव15 की तुलना में विव16 में वृद्धि हुई है)। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व में पिछले पांच वर्षों से प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है। हालांकि विव15 में इसमे थोड़ी कमी आई है।

इस प्रतिवदेन में ₹ 256.88 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सेवा कर पर 162 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 252.65 करोड़ के राजस्व वाली 158 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था (दिसम्बर 2016 तक) और ₹ 78.47 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

अध्याय I: सेवा कर प्रशासन

- श्रमबल भर्ती सेवा, जो विव15 में तीसरे स्थान पर थी, विव16 में सर्वोच्च सेवा कर राजस्व भुगतान सेवा बन गई है जिसके बाद दूरसंचार और सामान्य बीमा प्रीमीयम सेवाएं है।

(पैराग्राफ 1.7)

- समीक्षा तथा सुधार के लिए एसीईएस द्वारा चिन्हित कुल रिटर्नस में से 79 प्रतिशत सुधार कार्यवाही के लिए लंबित थीं।

(पैराग्राफ 1.12.1)

- ₹ 76,124 करोड़ से अधिक के सेवा कर निहितार्थ वाले अधिनिर्णय मामले 31 मार्च 2016 को अन्तिमीकरण को लंबित थे।

(पैराग्राफ 1.13)

- अधिनिर्णय आदेश के प्रति विभाग की अपील का सफलता अनुपात विव14 में 32.69 प्रतिशत से घटकर विव16 में 25.53 प्रतिशत हो गया है।

(पैराग्राफ 1.15)

- इकाईयों की सभी श्रेणियों में लेखापरीक्षा हेतु देय के साथ तुलना करने पर किये गये आन्तरिक लेखापरीक्षाओं में भारी कमी थी।

(पैराग्राफ 1.17)

- मंत्रालय द्वारा विस्तृत जांच से संबंधित पूरा डाटा उपलब्ध नहीं करा सकता था, विव16 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा और प्रतिदाय मामलों के निपटारे और पंजीकृत निर्धारिती और रिर्टन की प्रारम्भिक संवीक्षा के संबंध में प्रस्तुत डाटा, 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में दी गयी सूचना के अनुरूप नहीं है।

(पैराग्राफ 1.19)

- अंतिम पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (चालू वर्ष के प्रतिवेदन सहित) हमने 810 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को सम्मिलित किया जिसमें ₹ 2,181.44 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ हैं जिसके विपरीत मंत्रालय ने 795 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को स्वीकार किया जिसमें ₹ 1,866.26 करोड़ रूपये के वित्तीय निहितार्थ और ₹ 449.59 करोड़ की वसूली है।

(पैराग्राफ 1.23)

अध्याय II: बकाया की वसूली

- सेवा कर का बकाया, जोकि 2012-13 में ₹ 22,014 करोड था, 2014-15 में तिगुना ₹ 71,257 करोड़ हो गया था। यद्यपि वर्ष के दौरान अप्रतिबंधित वसूलीयोग्य बकाया राशि से वसूली का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 42 प्रतिशत से भारी गिरावट के साथ 2014-15 में 10 प्रतिशत रह गया है।

(पैराग्राफ 2.7)

- रेंज कार्यालयों के लिए मूल आदेश में (ओआईओएस) संचार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी, हमने पाया कि रेंज कार्यालयों में मूल आदेश के संचार में लिया गया समय 11 आयुक्तालयों में अवधि एक दिन से लेकर 2,949 दिनों की थी।

(पैराग्राफ 2.8.1)

- आठ आयुक्तालयों में 49 परीक्षण जांच मामलों में, वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 73 और 87 के तहत वसूली के लिए कार्यवाही, आरम्भ नहीं की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.86 करोड़ की गैर-वसूली हुई है।

(पैराग्राफ 2.8.2)

- नौ आयुक्तालयों में 51 परीक्षण जांच में, दस वर्षों से लम्बित ₹ 613.07 करोड़ के राजस्व को सम्मिलित करते हुए, प्रारंभिक सुनवाई के लिए याचिका दायर नहीं की गयी थी।

(पैराग्राफ 2.8.3)

- 23 आयुक्तालयों में, पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी मामलों को वसूली सेल में हस्तान्तरित नहीं किया गया, यद्यपि इन आयुक्तालयों में 2014-15 के आरम्भ में ही ₹ 16,857 करोड़ के बकाया थे। इसके परिणाम स्वरूप वसूली सेल कर का अस्तित्व न केवल बेमानी है परन्तु बकाया राशि का ढेर लगाने के लिए यह प्रेरित करता है।

(पैराग्राफ 2.8.5)

- सीबीईसी ने 2004 में समन्वय की सुविधा, और बकाया की वसूली में क्षेत्र संरचनाओं के प्रयासों की देख-रेख करने के लिए एक केन्द्रीकृत टास्क फोर्स (सीटीएफ) का गठन किया था। परन्तु बकाया की प्राप्ति के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने में यह विफल रही थी।

(पैराग्राफ 2.11.1)

अध्याय III: आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

- 15 चयनित लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में 2012-13 से 2014-15 की अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा की गयी थी।
- लेखापरीक्षा के दौरान, हमनें 750 निर्धारिती मास्टर फाइलों और 1,125 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों की मांग की थी जिसके विरुद्ध हमें 396 निर्धारिती मास्टर फाइलें और 886 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलें प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर, लेखापरीक्षा अनुवर्ती रजिस्टर इत्यादि से संबंधित पूर्ण अभिलेख भी प्राप्त नहीं हुए थे। ***इन अभिलेखों के आभाव में, निर्धारित प्रक्रियाओं के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा आयुक्तालयों द्वारा हम अनुपालन की सीमा पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।***

(पैराग्राफ 3.6)

- नौ आयुक्तालयों में, जहां आवश्यक डाटा उपलब्ध कराये गये थे, निर्धारित 100 प्रतिशत के स्थान पर केवल 0.58 प्रतिशत निर्धारिती के संबंध में निर्धारिती मास्टर फाइलें (एएमएफएस) बनायी गयी थी। सभी निर्धारितियों के लिए एएमएफएस बनाये रखने में लगभग सभी आयुक्त कार्यालयों

द्वारा व्यक्त की गयी व्यवहारिक कमी को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय को महानिदेशक लेखापरीक्षा के द्वारा वर्तमान में किये जा रहे निर्धारिती के केन्द्रीकृत जोखिम स्कोरिंग को ध्यान में रखते हुए आयुक्तालय स्तर पर उचित जोखिम मूल्यांकन के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 3.8.1)

- आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों, लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर और लेखापरीक्षा अनुवर्ती रजिस्टरों में अपर्याप्तता थी।

(पैराग्राफ 3.8.3, 3.9.1 और 3.9.2)

- आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा 10 आयुक्तालयों में मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब, कुल मामलों के पचास प्रतिशत से भी अधिक था।

(पैराग्राफ 3.9.3)

- जांच समिति की बैठक (एमसीएमएस) स्थायित्व के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का परीक्षण करने के लिए मासिक आधार पर आयोजित की जाती है। छः लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में, केवल 209 एमसीएमस आयोजित की गयी जबकि 306 एमसीएमस संचालित की जानी थी।

(पैराग्राफ 3.9.5)

- ऐसी विंग द्वारा अभिलेखों का खराब अनुरक्षण जोकि अनुपालन सत्यापन तंत्र की रीढ़ है, विभाग के कामकाज को असंतोषजनक दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.10)

अध्याय IV: नियमो और अधिनियमो का गैर-अनुपालन

- लेखापरीक्षा में ₹ 138.22 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेवा कर के गैर-भुगतान/कम भुगतान, अनुचित लाभ उठाने/सेनवैट क्रेडिट की उपयोगिता और विलम्ब भुगतानों पर ब्याज के गैर-भुगतान के उदाहरण देखे गए।

(पैराग्राफ 4.1)

अध्याय V: आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां, कारण बताओं नोटिस देरी से जारी करना आदि देखे गए जिनमें ₹ 118.66 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 5.2)